न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम, पटना सिटी

फतुहाँ–746/18 (जी0आर0–6669/18)

Date	Cognizance Order	Remarks
04.08.21	वाद आज संज्ञान हेतु प्रस्तुत किया गया। अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा इस कांड में बनाये गये अभियुक्त–विभा कुमारी, जुली कुमारी तथा मुकेश कुमारी की शाली को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए अभियुक्त–1. धीरेन्द्र कुमार उर्फ भोले 2. मुकेश कुमार के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–341, 323, 325, 307, 353, 333, 504/34 के अंतर्गत आरोप–पत्र सं0–166/19 दि0–30.06.19 समर्पित करते हुए कांड का अनुसंधान बंद किया है। विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख, अभिलेख पर उपलब्ध आरोप–पत्र, तथा कांड दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि उपर्युक्त अभियुक्त–1. धीरेन्द्र कुमार उर्फ भोले 2. मुकेश कुमार के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–323, 332, 341, 353, 504/34 के अंतर्गत प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अनुत्प्रेषित दिखाये गये अभियुक्त–विभा कुमारी, जुली कुमारी तथा मुकेश कुमारी की शाली के विरूद्ध पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं है। कांड दैनिकी के पारा–10, 17, 20 के अवलोकन से विदित होता है कि इस कांड में भा0द0वि0 की धारा–307, 325, 333 का पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं है जबकि भा0द0वि0 की धारा–333 का पर्याप्त आधार बनता है। अतः अभियुक्त–1. धीरेन्द्र कुमार उर्फ भोले 2. मुकेश कुमार के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–323, 332, 341, 353, 504/34 तहत दण्डनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया जाता है तथा वाद निष्पादन हेतु यह अभिलेख सुश्री पायल सिंगला, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पटना सिटी के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है। कार्यालय यह संपूर्ण मूल अभिलेख को संबंधित न्यायालय में भेजे। वाद दिनांक–.................. वास्ते उपस्थिति। आज्ञापित अ0मु0न्या0दण्डा0	